किसान कॉल सेंटर–18001801551

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण (आत्मा), रामगढ़ ।

नया समाहरणालय भवन, भूतल, ब्लॉक– सी0,
छत्तरमाण्डू, रामगढ़। (825101)
ई0मेल– atmaramgarh@gmail.com
वेबसाईट– atmaramgarh.org.in

किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना

–:आम सूचना:–

किसान समृद्धि योजना के तहत कृषकों से आवेदन पत्रों की मांग

योजना की विशेषताएँ, नियम एवं शर्तें:–

1. यह योजना सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित उद्वह सिंचाई योजना है।
2. इस योजना के तहत 2 HP एवं 5 HP सौर पम्पसेट का वितरण 90% अनुदान पर किया जायेगा।
3. इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान/कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह (JLSPS पंजीकृत) /FPO/FPC,LAMPS/PACS के सदस्य को दिया जाना है।
4. आवेदन प्रखण्ड तकनीकी सूचना केन्द्र में प्रत्येक कार्य दिवस में जमा किया जायेगा एवं आवेदन ग्राम सभा से अनुमोदित होना चाहिए।
5. प्राप्त आवेदन विभाग द्वारा विकसित पोर्टल में ऑनलाईन किया जायेगा।
6. रामगढ़ जिले को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। लक्ष्य प्राप्त होने के उपरांत आवेदकों की संख्या अधिक होने पर पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर चयन किया जायेगा।
7. लाभुक कृषक को Escrow Account खोलना होगा एवं 10% कृषक अंशदान Escrow Account में जमा करने के पश्चात ही 90% अनुदान की राशि उनके खाते में जमा की जायेगी।
8. सोलर सिंचाई आपूर्तिकर्ता द्वारा GPS Monitoring किया जायेगा एवं कम से कम 5 वर्षों तक रख–रखाव तथा मरम्मत की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
9. योजना का लाभ एवं व्यक्तिगत लाभुक की स्थिति में एक बार एवं समूह की स्थिति में कम से कम 05 वर्ष तक नहीं दिया जायेगा।
10. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं एक परिवार से एक ही सदस्य लाभुक होंगे। आधार से लिंक मोबाईल नम्बर होना चाहिए।
11. बटाईदार किसान, कोई कृषक परिवार या किसान संवैधानित पद राज्य/केन्द्र/PCU/सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत/सेवानिवृत अधिकारी एवं कर्मचारी, डॉक्टर इंजीनियर, Chartered Accountant, आकिटेक्ट, वकील जैसे प्रोफेशनल्स, सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर), अन्य किसी विभाग या संस्था से समरुप सिंचाई योजना से आच्छादित लाभुक एवं उनके परिवार के सदस्य, इस योजना के पात्र नहीं होंगे। साथ ही काली सूची में दर्ज किसान उत्पादक समूह, किसान उत्पादक कम्पनी, सहकारी समिति इत्यादि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
12. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन आवेदन नजदीकी CSC में जाकर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
13. विशेष/अधिक जानकारी के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा), कार्यालय नया समाहरणालय, भू–तल, ब्लॉक–सी0, छत्तरमाण्डू, रामगढ़/संबंधित प्रखण्ड के बी०टी०एम०/ए०टी०एम०/कृषक मित्रों से संपर्क किया जा सकता है।
14. आवेदन–पत्र आत्मा, रामगढ़ के **Website** - http://www.atmaramgarh.org.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

20/07/24

परियोजना निदेशक,
आत्मा, रामगढ़।